Email - sonekikalam@gmail.com
आर.एन.आई. रजि. नं. 52089/91

सोने की कलम

प्रधान सम्पादक - चेतन गन्धे , 9893157809

वर्ष - 33 अंक - 39 (साप्ताहिक) इन्दौर, 7 नवंबर से 13 नवंबर 2024 , गुरुवार मूल्य 1 रुपये पृष्ठ 4

शाहरुख खान मारने की धमकी

मुबंई । सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी मिलने के बाद शाहरुख खान की टीम ने बांद्रा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इस बीच, पूरे मामले के तार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, शाहरुख को जिस फोन से धमकी मिली है, वो फैजान के नाम से रजिस्टर्ड है और आखिरी लोकेशन रायपुर में मिली है। इस बीच, रायपुर से मिली जानकारी के मुताबिक, शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी रायपुर से दी गई थी। जान से मारने की धमकी के साथ ही उनसे फिरौती की मांग भी की गई थी।

पेसा मित्रों से सशक्त हो रही हैं प्रदेश की पेसा ग्राम पंचायतें

भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम-2022 लागू है। यह नियम प्रदेश में निवासरत जनजातीय समुदायों के प्राकृतिक रहन-सहन को केन्द्र में रखकर उनकी स्व-शासन की भावना को मान्यता प्रदान करते हैं। प्रदेश की सभी पेसा ग्राम पंचायतों में इन दिनों एक नई सकारात्मक लहर देखने को मिल रही है। पेसा मित्रों या कहें पेसा मोबलाईजर्स का योगदान ग्रामीणों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। राज्य की 5 हजार 133 पेसा ग्राम पंचायतों में 4 हजार 665 पेसा मित्र कार्यरत हैं, जो अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद

पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना हुआ

5 हजार से 30 हजार तक देना होगा

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी।

अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दो से पांच एकड़ तक 10,000 रुपए और पांच एकड़ से अधिक जमीन वालों पर 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी। दरअसल 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पराली पर पंजाब-हरियाणा से 14 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। इससे पहले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- सख्त आदेश के लिए मजबूर न करें 23 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आया था। कोर्ट ने कहा कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकार की खेतों में पराली जलाने से रोकने की कोशिशों को महज दिखावा बताया।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा हंगामा

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को भारी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह था- एक दिन पहले पारित हुआ जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का प्रस्ताव देने वाला विधेयक। इस बीच, गुरुवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो इंजीनियर रशीद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद ने 'आर्टिकल 370 का वापस लाओ' वाला पोस्ट दिखाया।

इसके बाद भाजपा के विधायक भड़क गए। देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर ने खूब कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में मार्शल बुलाकर विधायक को दूर किया गया। हंगामा नहीं थमा, तो सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

हंगामे की पृष्ठभूमि बुधवार को रख दी गई थी, जब उमर अब्दुल्ला सरकार ने संख्या के दम पर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद गुरुवार को विधायक शेख खुर्शीद ने सदन में एक पोस्टर लहराया, जिस पर लिखा था कि आर्टिकल 370 और 35ए बहाल होना चाहिए।

नए नियम : बकाया बिजली बिल परिवार से वसूलेगी सरकार

◆इंदौर, सोने की कलम। मध्यप्रदेश में सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत बकाया बिजली बिल की वसूली अब केवल बिजली कनेक्शन धारक से नहीं, बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्य जैसे बेटे, बहू, माता-पिता, भाई और बहन से भी की जाएगी।

इस नई नीति के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के घर का बिजली कनेक्शन उसके पिता, मां या अन्य परिवार के सदस्य के नाम पर है और उनके द्वारा बिल नहीं भरा गया है, तो इसकी वसूली उनके परिवार के बैंक अकाउंट से की जाएगी।

सरकार का नया कदम

इस पहल के तहत, बिजली विभाग अब डेटा एनालिसिस के माध्यम से उन कंज्यूमर्स की पहचान करेगा, जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे कंज्यूमर्स गलत लाभ उठा रहे हैं और अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अगर बिजली कनेक्शन आपके पिता या अन्य परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है और उन्होंने कई महीनों से बिल का भुगतान नहीं किया, तो अब इसका भुगतान आपके खाते से किया जाएगा।

कलेक्टर और एसपी को जिम्मेदारी

इस नई नीति को लागू करने के लिए कलेक्टर और एसपी को जिम्मेदारी दी गई है। वे इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और प्रशासन की तरफ से आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

डेटा एनालिसिस से होगी पहचान

बिजली विभाग ने एक विशेष डेटा एनालिसिस तंत्र विकसित किया है, जिसके माध्यम से वह उन कंज्यूमर्स की पहचान करेगा, जो सक्षम होने के बावजूद बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस तंत्र के द्वारा उन कंज्यूमर्स की जानकारी प्राप्त की जाएगी और विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, अगर कनेक्शन आपके नाम पर है और बिल बकाया है, तो वसूली आपके साथ-साथ आपके परिवार के अन्य सदस्य से की जा सकती है।

सरकार का यह कदम बकाया बिजली बिल के भुगतान में गंभीरता को दिखाता है, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि जो लोग जानबूझकर बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जाए। अब देखना होगा कि यह नीति कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या इससे बकाया बिजली बिल की समस्या में कोई सुधार होता है।

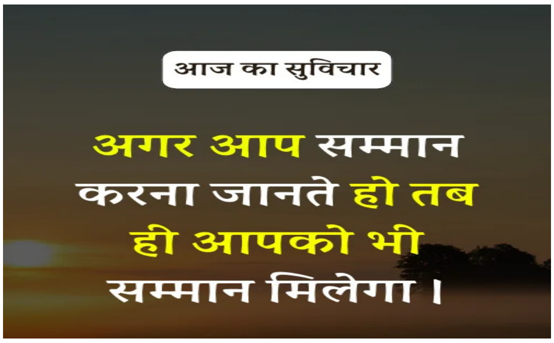

संपादकीय

इंदौर एक मॉडल शहर की ओर

चेतन गन्धे
9893157809
सम्पादक

इंदौर में अतिक्रमण और सफाई को लेकर पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ी सफलता हासिल की गई है। यह शहर न केवल मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र है, बल्कि इसे सफाई के मामले में भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया है। यहाँ पर अतिक्रमण और सफाई की समस्या को सुलझाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं।

अतिक्रमण पर नियंत्रण- अतिक्रमण एक ऐसी समस्या है जो अधिकांश शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, और इंदौर भी इससे अछूता नहीं था। खासकर शहर के व्यस्त इलाकों में दुकानों और अवैध निर्माणों के कारण अतिक्रमण की समस्या उत्पन्न हो गई थी।

अतिक्रमण हटाओ अभियान- इंदौर नगर निगम ने समय-समय पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाए हैं। इसमें न केवल सड़क किनारे की अवैध दुकानों और टापों को हटाया जाता है, बल्कि निर्माण कार्यों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है।

प्रदूषण मुक्त ज़ोन- कुछ खास इलाकों को अतिक्रमण मुक्त घोषित किया गया है, जहां कड़ी चौकसी और नियमित जांच की जाती है। इसके तहत सड़कों के किनारे अतिक्रमण की गतिविधियों को रोकने के लिए जागरूकता अभियानों के साथ-साथ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाती है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार- सड़कों और मार्गों का चौड़ीकरण और उनकी बेहतर सफाई के लिए शहर में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हो रहा है। इसके साथ ही पार्किंग की उचित व्यवस्था और गाड़ियों की पार्किंग की जगह बढ़ाई जा रही है।

इंदौर को लगातार सफाई के मामले में देश में टॉप रैंकिंग मिल रही है, और इसके लिए विशेष रूप से स्वच्छता अभियान और कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है।

स्वच्छता सर्वेक्षण- इंदौर ने लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसका कारण नगर निगम द्वारा चलाए गए विभिन्न स्वच्छता अभियानों और कचरा संग्रहण कार्यों की प्रभावी योजना है। इसमें कचरे की पृथक्करण (वेस्ट सेग्रीगेशन), कचरा संग्रहण, और कचरे का वैज्ञानिक निपटान शामिल है।

स्मार्ट डस्टबिन और गारबेज वैन- इंदौर नगर निगम ने स्मार्ट डस्टबिन और गारबेज वैन की व्यवस्था शुरू की है, जो नियमित रूप से शहर के विभिन्न इलाकों से कचरा एकत्रित करते हैं। इन वैनों में कचरे का पृथक्करण पहले से किया जाता है, जिससे रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिलता है।

स्वच्छता अभियान और जागरूकता- इंदौर में हर साल स्वच्छता से संबंधित अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, व्यापारियों और आम नागरिकों को सफाई के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। साथ ही, स्वच्छता ही सेवा जैसे कार्यक्रमों के तहत लोगों को कचरे के उचित निपटान के लिए प्रेरित किया जाता है।

जल्द खत्म होगा बरसों पुराना इंतजार

नए साल में दौड़ेगी मेट्रो

◆इंदौर, सोने की कलम।

इंदौर में जल्द खत्म होगा बरसों पुराना इंतजार, इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मेट्रो रेल का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। जानकारी के मुताबिक, इंदौर में मेट्रो रेल का वाणिज्यिक परिचालन 2025 की शुरुआत में शुरू हो सकता है। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पहले चरण में मेट्रो रेल गांधी नगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर के स्टेशन क्रमांक-तीन तक 5.9 किलोमीटर के खंड पर चलेगी। इस मार्ग पर मेट्रो रेल का प्रायोगिक परीक्षण (ट्रायल रन) सितंबर 2023 में किया गया था।

ट्रायल रन के बाद रिपोर्ट सौंपेगी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

अधिकारी ने कहा कि इस मार्ग पर मेट्रो रेल के वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत के लिए विभिन्न परीक्षण चल रहे हैं। इन परीक्षणों के पूरे होने के बाद मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपनी रिपोर्ट मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) को सौंपेगा। रिपोर्ट मिलने के बाद सीएमआरएस का दल निरीक्षण करेगा और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगा। इसके बाद सीएमआरएस की हरी झंडी मिलने पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो सकेगा।

इंदौर में बनाए जा रहे मेट्रो स्टेशनों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यहां छह डिब्बों वाली मेट्रो ट्रेन चल सकेगी। हालांकि, पहले चरण में तीन डिब्बों वाली मेट्रो चलाए जाने की योजना है। यदि यात्रियों की संख्या बढ़ती है, तो इसमें तीन और डिब्बे जोड़े जा सकते हैं।

मेट्रो की क्षमता और परियोजना की लागत

अधिकारी ने बताया कि मेट्रो के एक डिब्बे में करीब 300 यात्री सफर कर सकते हैं, जिनमें से 50 लोग सीटों पर बैठ सकते हैं। इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लागत 7,500.80 करोड़ रुपये है, और पहले चरण में 31.50 किलोमीटर लंबा मेट्रो गलियारा तैयार किया जाएगा। इस परियोजना की नींव 14 सितंबर 2019 को रखी गई थी।

इस मेट्रो परियोजना के पूरा होने के बाद इंदौर में यातायात की समस्याओं में काफी सुधार होने की उम्मीद है, और शहरवासियों को आधुनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी।

नोटिस देने वालों को मिले नोटिस

◆इंदौर, सोने की कलम।

पिछले कुछ महीनों से सम्पत्ति कर और जल कर की वसूली में कमी आने पर बिल कलेक्टरों को एक बैठक में फटकार लगाई गई और कई को नोटिस जारी किए गए। इनमें से एक बिल कलेक्टर को निलंबित करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है।

सम्पत्ति कर, जल कर और कचरा प्रबंधन शुल्क के बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई के तहत हाल ही में कई जगहों पर थोकबंद नोटिस जारी किए गए थे और कुछ संपत्तियों पर ताले भी लगाए गए थे।

बिल कलेक्टरों को अलग-अलग टारगेट दिए गए थे, ताकि वे वसूली के कार्य को पूरा कर सकें। लेकिन अधिकारियों द्वारा दिए गए टारगेटों को पूरा न करने पर, राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कई बिल कलेक्टरों पर गुस्सा जाहिर किया गया।

अपर आयुक्त नरेंद्र पाण्डे ने बिल कलेक्टरों को फिर से चेतावनी दी कि वे अपने-अपने क्षेत्र में बकायादारों से राशि वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में वार्ड 44 के बिल कलेक्टर वीरेंद्र शर्मा को सम्पत्ति कर और जल कर में वसूली में अत्यधिक कमी के कारण निलंबित करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। इसके अलावा, बिल कलेक्टरों दिनेश यादव, शुभम बुनकर, विनोद पाण्डे, कृष्णा राव, एजाज खान, पुरुषोत्तम राठौर सहित 32 बिल कलेक्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें सम्पत्ति एवं जल कर की वसूली में सुधार करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, बेहतर वसूली करने वाले कुछ बिल कलेक्टरों की सराहना भी की गई।

विवाद के बाद बेटे ने की मां की हत्या

इंदौर। पत्नी से विवाद के समझौते के दौरान रात को एक बेटे ने अपनी मां पर चकले से हमला कर दिया। उसने पत्नी पर भी हमला किया था। घटना में मां की मौत हो गई। हमला करने वाला बेटा मौके से भाग गया। बहू ने मामले में पति के खिलाफ सास की हत्या करने का केस दर्ज करवाया है। द्वारकापुरी टीआई आशीष सप्रे ने बताया कि घटना ऋषि पैलेस में हुई। 62 साल की रेखा पति गणपत भावे की हत्या कर दी गई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया है। इस मामले में रेखा की बहू पिंकी ने रेखा के बेटे और अपने पति शंकर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।

रेखा का कहना है कि पति शंकर और सास रेखाबाई बालदा कॉलोनी में रहते हैं। वह बच्चों के साथ ऋषि पैलेस में उनसे अलग रहती है। रात को पति शंकर और सास रेखाबाई समझौते के लिए ऋषि पैलेस आए। यहां समझौते के दौरान शंकर ने पिंकी से विवाद किया और उस पर हमला कर दिया। रेखा बीच-बचाव करने आई तो शंकर ने उस पर भी चकले से हमला कर दिया।

मास्टर प्लान की 23 सड़कें बनाने का ठेका दूसरी बार भी निरस्त

इंदौर, सोने की कलम। मास्टर प्लान की 23 सड़कों के लिए दूसरी बार जारी टेंडर इंदौर नगर निगम ने दूसरी बार भी निरस्त कर दिया है। इन सड़कों के लिए अब तीसरी बार टेंडर जारी किए जाएंगे। निगम ने इन सड़कों के लिए चार अलग-अलग पैकेज में टेंडर जारी किए थे। पहली बार जारी टेंडर चार निर्माण एजेंसियों के आपस में संगमत होकर टेंडर डालने की आशंका के चलते निरस्त कर दिए गए थे।

इसमें इन कंपनियों ने सड़कों को बनाने के रेट नौ प्रतिशत तक ज्यादा दिए थे। दूसरी बार जारी टेंडर इसलिए निरस्त कर दिए गए क्योंकि इस बार कंपनियों ने सड़क बनाने के रेट छह से सात प्रतिशत तक ज्यादा दिए हैं। नगर निगम को उम्मीद है कि तीसरी बार टेंडर आमंत्रित करने पर आर्थिक लाभ हो सकता है और दर और कम हो सकती है।

केंद्र सरकार ने इंदौर की 23 सड़कों को बनाने के लिए 468 करोड़ रुपये नगर निगम को आवंटित किए हैं। वहीं निगम का दावा है कि सिंहस्थ से पहले इन सड़कों का काम पूरा कर लिया जाएगा ताकि इंदौर होकर उज्जैन जाने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। इधर सड़कों के टेंडर दूसरी बार निरस्त होने पर कांग्रेस मैदान में उतर आई है। उसने गड़बड़ी की आशंका जताई है।

यातायात सुधार एवं फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम पुनः की गई शुरू

फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों तथा गंदगी करने वालों के विरुद्ध लगाया गया जुर्माना

इंदौर, सोने की कलम। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में इंदौर में यातायात सुधार और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में आज जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा यातायात को सुगम बनाने हेतु संयुक्त कार्रवाई की गई।

संयुक्त दल द्वारा नगर निगम के जोन 02 के अंतर्गत जयरामपुर कॉलोनी मेन रोड - लालबाग पैलेस मेन रोड एवं महुनाका चौराहा इंदौर के सड़क एवं फुटपाथ पर अस्थायी रूप से किये गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही एस.डी.एम श्री राकेश परमार के निर्देशन में महुनाका वाइन शॉप के पास स्थित अहाता के रूप में संचालित दुकानों पर गंदगी पाये जाने पर अहाता मालिक अभिषेक पर 10 हजार रुपये का स्पॉट फाइन किया गया। क्षेत्र में अन्य दुकानों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। इस प्रकार कुल 17 हजार रुपये के चालान बनाए गए। सामान निगम की रिमूवल गैंग द्वारा फुटपाथ से हटवाया गया। साथ ही समझाईश दी गई की गाड़ियां अपने परिसर में ही पार्क करें। संयुक्त कार्रवाई में एसडीएम श्री राकेश परमार, जोनल अधिकारी श्री विनोद अग्रवाल, सहायक श्री मयंक बेतव एवं रिमूवल प्रभारी श्री राजेंद्र यादव सहित निगम की टीम उपस्थित रही।

12 साल बाद श्री गुरुसिंघ सभा के चुनाव में मतदान शुरू, 80 बूथों पर वोटिंग

इंदौर, सोने की कलम। इंदौर में 12 साल बाद श्री गुरुसिंघ सभा के चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया आज (गुरुवार) शुरू हो गई है। मतदान सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में चुनाव अध्यक्ष, सचिव और 17 कार्यकारिणी सदस्य चुने जाएंगे। मतदान के लिए कुल 11,687 मतदाता पात्र हैं, और यह मतदान इंदौर के चार प्रमुख स्थानों - निरंजनपुर गुरुद्वारा, गुरुनानक पब्लिक स्कूल खंडवा रोड, गुरु अमरदास हाल माणिकबाग रोड, और खालसा कॉलेज राजमोहल्ला - पर आयोजित किया जा रहा है, जहां 80 बूथ बनाए गए हैं।

चुनाव में मुख्य रूप से दो पैनल हैं- एक पैनल खालसा फतेह (चुनाव चिह्न बाज) और दूसरा पैनल खंडा (चुनाव चिह्न घोड़ा) के तहत मुकाबला कर रहा है। मतदाता मतदान के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र और आधार कार्ड की मूल प्रति साथ लाकर मतदान कर सकते हैं।

इस चुनाव को लेकर कई कानूनी चुनौतियां भी सामने आईं। पहले, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि चुनाव प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई उम्मीदवार परिणामों को चुनौती देना चाहता है, तो वह दीवानी अदालत में अपील कर सकता है।

इससे पहले, उच्च न्यायालय में भी कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें मतदाता सूची को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं, लेकिन इन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से साफ हो सकी और मतदान की शुरुआत हो पाई।

इस चुनाव को लेकर सिख समाज में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह 12 साल बाद हो रहे हैं और इसमें श्री गुरुसिंघ सभा के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

हिंदू मंदिर हमलों का विरोध

सड़कों पर चिपकी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर

इंदौर, सोने की कलम। कनाडा में हाल ही में हिंदू मंदिरों और भारतीय नागरिकों पर हुए हमलों के खिलाफ इंदौर में एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस विरोध में, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तस्वीरें और कनाडा का झंडा इंदौर की सड़कों पर चिपकाए गए थे। यह विरोध कनाडा में ब्रैम्पटन स्थित हिंदू महासभा के मंदिर पर हुए हमले के खिलाफ किया गया था।

इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार सुबह रीगल चौराहे और गांधी प्रतिमा के पास सड़कों पर पोस्टर चिपकाए। जिला कांग्रेस सेवादल के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी, और देवेंद्र सिंह यादव ने इस विरोध का नेतृत्व किया। इन पोस्टरों पर जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर के साथ मुर्दाबाद लिखा हुआ था। ये पोस्टर खासतौर पर जेब्रा क्रॉसिंग पर लगाए गए थे ताकि रेड सिग्नल पर रुके लोग इन्हें देख सकें।

यह विरोध प्रदर्शन इंदौर सहित देशभर के कई शहरों में हो रहे विरोधों का हिस्सा था। हालांकि, इंदौर में हुए इस विरोध ने विशेष ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह अलग तरीके से आयोजित किया गया था। इस विरोध को लेकर शहर के लोग खासे जागरूक थे और इसे लेकर चर्चा भी की जा रही थी।

राष्ट्रीय सिख संगत की कड़ी निंदा- राष्ट्रीय सिख संगत ने कनाडा में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। मप्र व छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय सिख संगत के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह नारंग और प्रांत अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह खनूजा ने इस कृत्य की निंदा करते हुए अपील की कि देशभर के सभी सिख इस कुकृत्य का विरोध करें। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान समर्थित तत्वों को कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए।

सिख यूथ फोरम का ज्ञापन

ज्ञापन में यह मांग की गई कि भारत सरकार कनाडा सरकार पर दबाव बनाए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सिख यूथ फोरम के नेताओं ने संभागायुक्त कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में तत्काल कार्रवाई की अपील की।

इंदौर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नगर निगम की नई पहल

पेड़-पौधों पर लगेगी धूल की सफाई सड़कों पर छिड़के जाएंगे परफ्यूम

◆**इंदौर, सोने की कलम।** **ठंड के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इंदौर नगर निगम ने एक नवाचार किया है। नगर निगम ने अपनी कार्यशाला में छह विशेष वाहन तैयार किए हैं, जो रोजाना सुबह शहर के प्रमुख हिस्सों में पेड़ों पर जमी धूल को साफ करेंगे। इसके साथ ही, इन वाहनों से सड़क पर परफ्यूम भी छिड़का जाएगा, जिससे न केवल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, बल्कि शहर के वातावरण में ताजगी भी आएगी।**

खास अभियान के तहत पेड़ों की धूल की सफाई

यह अभियान शहर के हरे-भरे क्षेत्रों और मुख्य सड़कों के किनारे स्थित पेड़ों और पौधों की सफाई पर केंद्रित है। नगर निगम ने छह विशेष वाहनों को तैयार किया है, जो रोजाना सुबह 4 से 6 बजे तक शहर में करीब 300 किमी क्षेत्र में सफाई करेंगे। इन वाहनों पर विशेष फव्वारे लगाए गए हैं, जो पेड़ों पर जमी धूल को पानी से साफ करेंगे।

नगर निगम के अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि इस पहल से शहर की वायु गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि धूल के कण कम होंगे और वायु में ताजगी बनी रहेगी। मिश्रा ने यह भी कहा कि निगम इस अभियान को भविष्य में शहर के अन्य हिस्सों में भी विस्तारित करने की योजना बना रहा है। निगम द्वारा तैयार किए गए ये विशेष वाहन हर दिन 40-50 किलोमीटर के हरे क्षेत्र को कवर करेंगे। वाहनों का संचालन सुबह के समय किया जाएगा, जब यातायात कम रहता है, ताकि शहरवासियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह पहल इंदौर को न केवल स्वच्छ और हरित बनाएगी, बल्कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान करेगी।

प्रदूषण नियंत्रण और ताजगी का अहसास

इस विशेष अभियान से न केवल प्रदूषण स्तर में सुधार होगा, बल्कि पेड़-पौधों के आस-पास का वातावरण भी ताजगी से भर जाएगा। इन वाहनों से पानी के साथ-साथ लेमनग्रास, एप्पल जैसी खुशबू भी छोड़ी जाएगी, जो सुबह-सुबह टहलने या वॉक करने वालों के लिए एक ताजगी का अनुभव प्रदान करेगी। यह सुगंध तीन से पांच घंटे तक बनी रहेगी।

संपत्ति की गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर, जल्द होगी लागू

◆**इंदौर, सोने की कलम।** **इंदौर जिले के 469 क्षेत्रों में संपत्तियां खरीदने के बाद रजिस्ट्री कराने पर खरीदारों को अधिक शुल्क चुकाना होगा, क्योंकि गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल ने अनुमोदित कर दिया है। इसमें 111 नई कॉलोनियों को पहली बार गाइडलाइन में शामिल किया गया है। इन कॉलोनियों में पास की कॉलोनियों की गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं।**

दरें बढ़ने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है, और जल्द ही लागू करने की तारीख की घोषणा पंजीयन विभाग द्वारा की जाएगी। इंदौर जिले में कई क्षेत्रों में तय गाइडलाइन दरों से अधिक रेट पर संपत्तियों के दस्तावेज पंजीकृत हो रहे थे, जिसके कारण अब इन क्षेत्रों में संपत्तियों की दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। यह वृद्धि साल में दूसरी बार की जा रही है। इंदौर जिले में 469 लोकेशन पर गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति ने अनुमोदित कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल को भेजा था, जिसे मंगलवार को मंजूरी मिल गई। भोपाल में इंदौर जिले के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। जैसे ही निर्देश मिलेंगे, इसे लागू कर दिया जाएगा।

वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 को गाइडलाइन में वृद्धि के बाद, जिले में 5154 लोकेशन पर संपत्तियों की पंजीकरण हो रही थीं। अब 469 लोकेशन और 111 नई कॉलोनियों में गाइडलाइन दरों में 0 से 31 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।

वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरेश नायडू के अनुसार, 112 लोकेशन पर 0 से 10 प्रतिशत, 190 लोकेशन पर 11 से 20 प्रतिशत, 77 लोकेशन पर 21 से 30 प्रतिशत और 90 लोकेशन पर 31 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की गई है।

इंदौर-रीवा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, भोपाल, जबलपुर, सतना रहेगा रूट

इंदौर। त्योहारी सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रीवा-इंदौर-रीवा के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। बुधवार रात 8.45 बजे रीवा से ट्रेन इंदौर के लिए रवाना हुई और गुरुवार सुबह 11.10 बजे इंदौर पहुंचेगी।

गुरुवार को यह ट्रेन(02183) दोपहर एक बजे इंदौर से रीवा के लिए रवाना होगी और आठ नंवबर की अलसुबह 3.45 बजे रीवा पहुंचेगी। ट्रेन का दोनों दिशाओं में सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल, संत हिरदाराम नगर और उज्जैन रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। ट्रेन में एक फर्स्ट एसी, एक सेकंड एसी, चार थर्ड एसी, 13 स्लीपर व तीन सामान्य कोच व दो एसएलआर कोच रहेंगे। आईआरसीटीसी द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन 16 दिसंबर को इंदौर शहर से दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए रवाना होगी। ट्रेन इंदौर, देवास, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल नागपुर स्टेशन से होते हुए जाएगी। यात्रा 9 रातें और 10 दिनों की है। इंदौर-पुरी हमसफर एक्सप्रेस वर्तमान में सप्ताह में प्रति मंगलवार इंदौर से पुरी के लिए रवाना हो रही है। इस ट्रेन को सप्ताह में तीन दिन संचालित करने के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। महाजन ने बताया कि यह ट्रेन इंदौर से रायपुर और पुरी को सीधे जोड़ने वाली एकमात्र गाड़ी है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक चेतन गन्धे के लिए चेतन ग्राफिक्स, 135, नगर निगम मार्केट, सुभाष मार्ग, वीआईपी स्टेशनरी के सामने, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 109, बाणगंगा मेनरोड़, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादक: चेतन गन्धे, मो. : 9893157809 Email : sonekikalam@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।)